



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277453
CG-DL-E-27102026-277453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5576]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948

No. 5576]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5794(अ).— केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के का.आ.सं. 1830(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त आदेश की प्रस्तावना के पैरा 4 में, "30 जून, 2025 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "31 जनवरी, 2027 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे-7/1/2024-पटसन अनुभाग]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.सं. 1830(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 द्वारा प्राकशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES
ORDER

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5794(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) vide number S.O. 1830(E), dated the 22nd April, 2025, namely:-

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters “up to the 30th June, 2025”, the words, figures and letters “up to the 31st January, 2027 or until further orders, whichever is earlier” shall be substituted.

[F. No. J-7/1/2024-Jute Section]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1830(E), dated the 22nd April, 2025.